जा रहा है और यदि कहीं शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वस्त्र मंत्रालय क अधीन 9 (न कि 13 जैसा कि प्रश्न में बताया गया है) सरकारी उपक्रम/कम्पनियां हैं। इन सभी उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को तथा वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये वास्तविक प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक कम्पनी में प्राप्त परिणामों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी सलाहकार समिति जैसे मंचों के माध्यम से नियमित रूप से मानीटर किया जाता है तथा समीक्षा की जाती है।

(ख) जहां तक प्रतिशतता का संबंध है, "क" क्षेत्र में स्थित कम्पनियों के 14 अनुभाग अपना 100% कार्य हिन्दी में कर रहे हैं और "क" तथा "ख" क्षेत्र में 8 ऐसे अनुभाग हैं जहां पर 50% से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। "ग" क्षेत्र में अधिकांश कम्पनियों में हिन्दी कार्य की प्रतिशतता अपेक्षाकृत कम है।

(ग) विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का यथासंभव कार्यान्वयन किया जा रहा है। जहां तक धारा 10 (4) का संबंध है अभी तक वस्त्र मंत्रालय के 50 कार्यालय इस धारा के अंतर्गत अधिसूचित किए जा चुके हैं। जहां तक धारा 8 (4) का संबंध है इस प्रयोजनार्थ 14 अनुभाग निर्धारित किये गये हैं और वे अपना शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहें हैं।

(घ) "क" क्षेत्र में स्थित निम्नोक्त संगठनों के कतिपय अनुभाग अपना शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहे हैं :

(1) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली।

(2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, कानपुर।

(3) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इन्दौर।

(4) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली।

(5) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर।

कुछ कार्यालयों में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में न किये जाने संबंधी कारण हैं ; अपेक्षित स्तर तक हिन्दी भाषा का ज्ञान न होना, हिन्दी कार्य के लिये स्टाफ की कमी, आशुलिपिक सहायता आदि पर्याप्त न होना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

78. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" क्षेत्र में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं अपना शत-प्रतिशत काम हिन्दी में नहीं कर रही हैं, क्या हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी 1300 शाखा अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रही हैं, और यदि हां, तो इन शाखाओं में ऋण पत्र तैयार करने, तार कोडों और कम्प्यूटर संबंधी सभी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्र में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के मुख्यालय से लेकर शाखाओं तक में राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम का इतना घोर उल्लंघन किया जा रहा है कि लिखा पढ़ी के बावजूद मुंगेर जिले में बरियारपुर शाखा में, जो "क" क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो इन बैंकों का प्रभारी है, इस कार्य की सही प्रकार से निगरानी नहीं कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडवर्ड फैलेरियो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को "क" क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 13740 शाखाओं में से 3367 शाखाएं अपना अधिकांश काम हिन्दी में कर रही थीं। इस क्षेत्र में स्थित

बैंकों की बाकी शाखाओं द्वारा हिन्दी में किये जा रहे कार्य की प्रतिशतता अलग-अलग है । लगभग सभी बैंकों ने अपने-अपने ऋण करार प्रपत्र द्विभाषिक रूप में छपवा लिये हैं और वे उनका प्रयोग कर रहे हैं । केवल बैंकिंग लेनदेनों से संबंधित कोडिड तार अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं क्योंकि कोड केवल अंग्रेजी में ही हैं । कम्प्यूटरों सहित वर्तमान इलेक्ट्रानिक मशीनों के द्विभाषीकरण से संबंधित मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है ।

(ख) यूको बैंक ने बताया है कि उसकी मुंगेर जिले में स्थित बरियारपुर शाखा में बचत बैंक, डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने, कृषि तथा संबद्ध कार्यों के लिए ऋण देने से संबंधित काम हिन्दी में अथवा द्विभाषिक रूप में किया जा रहा है । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर प्रायः हिन्दी में ही दिए जाते हैं और राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाता है । इसके अलावा, सभी साइन-बोर्ड/नोटिस बोर्ड या तो हिन्दी में हैं अथवा द्विभाषिक रूप में हैं ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग प्रभाग द्वारा अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में विचार किया जाता है । ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । इसके अलावा, वित्तीय मूल्यांकन के समय, निरीक्षण दलों द्वारा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित निरीक्षण भी किया जाता है । राजभाषा विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी भी, बैंक की शाखाओं/कार्यालयों का दौरा करते समय इस काम को देखते हैं ।

Identification of Wasteland in Forest Areas

79. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Central Government had asked different State Governments to identify the wasteland in the forest areas;

(b) if so, the extent of wasteland in forest areas identified by these States; and

(c) the steps the Central Government have taken to develop the identified wasteland in the forest areas?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

NTC Mills

80. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI PRITHIBI MAJHI:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the accumulated losses of NTC mills in the country upto January, 1988;

(b) what are the units which have shown improvement and have registered a downward trend in losses and what are the units which have, inspite of all help, shown an upward trend in losses;

(c) whether any fresh initiatives are being taken to reduce losses of the NTC mills; and

(d) whether Government are planning to relocate any of the NTC mills to the periphery of the town so that valuable money obtained as the price of land of the present site of the mills, could be recycled for modernisation and rationalisation of the mills concerned?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) The cumulative net losses incurred by the NTC nationalised and managed mills upto 31st January, 1988 work out to Rs. 1285 crores (Provisional).

(b) During 1986-87, 36 mills have shown improvement in profitability and 87 mills have shown an upward trend in losses as compared to 1985-86.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.